पंचायती राज विभाग

नयी पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर की व्यवस्था है :-

ग्राम स्तर पर :- ग्राम पंचायत (जो पहले गाँव पंचायत थी)।

ब्लाक स्तर पर :- क्षेत्र पंचायत (जो पहले क्षेत्र समिति थी)।

जिला स्तर पर :- जिला पंचायत (जो पहले जिला परिषद थी)।

- पंचायतों का कार्यकाल- 5 वर्ष।
- समय से छः माह पहले भंग होने पर छः माह के अन्दर चुनाव दुबारा जरूरी।
- 5 साल समाप्त होने से पूर्व चुनाव प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा।
- अनुसूचित जाति व जन जाति के लिए आबादी के अनुसार सीट सुरक्षित।
- पिछड़ों के लिए भी सीट सुरक्षित, किन्तु 100 सीटों में 27 से अधिक नहीं।
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट सुरक्षित।
- आरक्षण प्रधानों व सदस्यों दोनों में ।
- पंचायतों, प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों के निलम्बन की व्यवस्था समाप्त है।
- प्रमुखों के चुनाव में प्रधानों की भागीदारी नहीं।
- अध्यक्ष, जिला पंचायत के चुनाव मे प्रमुखों की भागीदारी नहीं।
- चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष।
- पंचायतें अपनी योजना खुद बनायेंगी।
- प्रधानों व उप प्रधानों को मानदेय तथा अन्य सदस्यों को भत्ते।
- आबकारी कानून व नकली दवाओं के कानून का अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
- पंचायतों के लिए एक स्वतन्त्र राज्य वित्त आयोग।
- ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे। 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे, 3000 की आबादी तक 13 सदस्य होंगे, 3000 से अधिक आबादी पर 15 सदस्य होंगे।
- पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक ग्राम पंचायतें बनी रहेंगी। यदि 5 साल से कम से कम 6 माह पहले उसे भंग किया जाता है, [धारा 12,(3)] तो दुबारा चुनाव कराना होगा। दुबारा चुनी गयी पंचायत का कार्यकाल सामान्य समय (5 वर्ष) से बचे हुए समय के लिए होगा।
- ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक जरूरी है। साधारण रूप से बैठक वहीं बुलाई जाये, जहाँ पंचायत का कार्यालय हो या अन्य कोई सार्वजनिक (पब्लिक) स्थान हो- [धारा 12 ख (1)]।

- कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों को लिखित रूप से बैठक की सूचना दी जायेगी। इसका प्रकाशन ग्राम पंचायत की क्षेत्र सीमा के अन्दर खास-खास स्थानों पर सूचना चिपकवा कर किया जायेगा (नियम 32 व 37)।
- प्रधान, उसके मौजूद न रहने पर उप प्रधान, किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी। यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाते हैं, तो निर्धारित अधिकारी (ए.डी.ओ. पंचायत) बैठक बुला सकता है।
- प्रधान व उप प्रधान को शामिल करते हुए पंचायत-सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक का कोरम मानी जायेगी। यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है तो दुबारा सूचना देकर बैठक बुलायी जा सकती है और इसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी।
- प्रधान, उसके मौजूद न रहने पर उप प्रधान, बैठक की अध्यक्षता करेगा। इन दोनों के मौजूद न रहने पर प्रधान द्वारा लिखित रूप मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने कोई सदस्य मनोनीत न किया हो तो ए.डी.ओ. (पंचायत) मनोनीत करेगा। यदि प्रधान और ए.डी.ओ. दोनों ही किसी सदस्य को मनोनीत न कर पायें तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को चुन सकते हैं।